संख्या-52 /2024/2457/77-6-24-5(एम)/2017टीसी 15

प्रेषक,

अनिल कुमार सागर,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
पिकप।

औद्योगिक विकास अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक 07 अक्टूबर, 2024

विषयः 'कोविड 19 महामारी के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश में आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों के लिए त्वरित निवेश प्रोत्साहन नीति-2020' के अंतर्गत प्रदेश में स्थापित औद्योगिक इकाईयों हेतु विशेष सुविधाओं एवं रियायतों के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 'कोविड 19 महामारी के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश में आर्थकि रूप से पिछड़े क्षेत्रों के लिए त्वरित निवेश प्रोत्साहन नीति-2020' के अंतर्गत गठित इम्पावर्ड कमेटी की दिनांक 05.03.2024 एवं दिनांक 04.07.2024 को सम्पन्न बैठक में की गई संस्तुतियों के अनुसार निम्नांकित इकाईयों को अनुमन्य विशेष वित्तीय प्रोत्साहन/सुविधायें वितरित करने एवं एलओसी प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार निम्नांकित इकाईयों को निम्नानुसार वित्तीय प्रोत्साहन/सुविधायें/एलओसी संशोधित किये जाने की अनुमन्यता हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है-

(1) मेसर्स बर्जर पेन्ट्स इण्डिया लि0

मेसर्स बर्जर पेन्ट्स इण्डिया लि0 को हरदोई(मध्यांचल क्षेत्र) में रू. 725.80 करोड़ की लागत से पेन्ट्स परियोजना की स्थापना हेतु उक्त नीति के अंतर्गत मेगा प्लस श्रेणी में दिनांक 03.06.2021 को एलओसी निर्गत की गई थी। इकाई द्वारा अवगत कराया गया कि बेहतर तकनीक और उत्पादन अभिगम जिसके द्वारा डिजाइन में चेन्ज किया गया, के कारण निवेश में वृद्धि हुई है जो कि वर्तमान में निवेश बढ़कर रू.1036.46 करोड़ हो गया है। नीति के अंतर्गत मध्यांचल क्षेत्र में रू. 750.00 करोड़ तथा इससे अधिक का पूंजी निवेश सुपर मेगा श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। उक्त के दृष्टिगत इकाई द्वारा अनुरोध किया गया है कि पूर्व में निर्गत एलओसी दिनांक

03.06.2021 को संशोधित करते हुए इकाई को सुपर मेगा श्रेणी में वर्गीकृत करते हुए नवीन एलओसी निर्गत की जाए।

त्वरित प्रोत्साहन नीति 2020 के अंतर्गत मेसर्स बर्जर पेन्ट्स इण्डिया लि0, हरदोई को पूर्व में निर्गत एलओसी को संशोधित कर सुपर मेगा श्रेणी में एलओसी निर्गत किये जाने के प्रस्ताव पर अनुमति है।

(2) मेसर्स ब्रिटानिया इण्डस्ट्रीज लि0, जिला बाराबंकी (पूर्वांचल)

शासनादेश दिनांक 26.3.2021 के अनुपालन में मेसर्स ब्रिटानिया इण्डस्ट्रीज लि0 को जिला बाराबंकी (पूर्वांचल) में बिस्किट्स, केक, पेस्ट्रीज, रस्क एवं अन्य बेकरी उत्पाद के उत्पादन हेतु रू0 341.20 करोड़ पूँजी निवेश के माध्यम से एक नई खाद्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापना हेतु त्वरित निवेश प्रोत्साहन नीति-2020 के अन्तर्गत दिनांक 3.6.2021 को लेटर ऑफ कम्फर्ट निर्गत किया गया था जिसके अनुसार कम्पनी को उक्त परियोजना हेतु विभिन्न सुविधायें अनुमोदित की गयी हैं।

कम्पनी द्वारा प्रस्तावित परियोजना का वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक 6.2.2023 को रू0 262.54 करोड़ के स्थायी पूँजी निवेश के साथ प्रारम्भ कर वित्तीय वर्ष 2023-24 (01.07.2023 से 30.09.2023) की अवधि के लिए सुविधाओं के वितरण हेतु आवेदन किया गया है। कम्पनी द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन की तिथि 6.2.2023 से 30.6.2023 की अवधि हेतु कोई क्लेम नही किया गया है।

शासनादेशों में निहित प्राविधानों के अनुसार नोडल एजेन्सी के इम्पैनल्ड चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा रू0 250,45,78,720.00 (रू0 250.46 करोड़) का अर्ह स्थाई पूँजी निवेश सत्यापित किया गया है।

नीति-2020 के प्रस्तर 5.2 के अनुसार बुन्देलखण्ड एवं पूर्वांचल क्षेत्रों में स्थापित होने वाली इकाई हेतु सुविधाओं की अवधि 15 वर्ष एवं मध्यांचल क्षेत्र में यह अवधि 12 वर्ष प्राविधानित है जबकि प्रस्तर 6.3 के अनुसार मेगा एवं मेगा प्लस श्रेणी हेतु 12 वर्ष एवं सुपर मेगा श्रेणी हेतु 15 वर्ष का उल्लेख है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 (01.07.2023 से 30.09.2023) की अवधि के लिये सुविधाओं के वितरण हेतु निम्न विवरण के अनुसार अनुमन्यता है-

(राशि रू. में)

1-	परियोजना के सत्यापित निवेश के सापेक्ष सुविधाओं की अर्हता (पूर्वांचल क्षेत्र में स्थापित होने के कारण स्थायी पूँजी निवेश के 300 प्रतिशत के समतुल्य - रू0 250,45,78,720 X 3)	-	751,37,36,160.00

2-	सुविधाओं के वितरण हेतु अनुमन्य तिथि (डेट आफ एडमिसिबिल्टी)	-	6.2.2023
3-	अप्रैजल रिपोर्ट विलम्ब से प्रस्तुत करने की छूट प्रदान किये जाने पर।	-	
4-	भूमि से सम्बन्धित लेटर आफ कम्फर्ट में उल्लिखित शर्त का अनुपालन शासनादेश संख्या **1963/77-3-19-47**(एच)/**61** दिनांक **9.10.2019** के क्रम में सुनिश्चित माना जाए।		
5-	सुविधाओं के प्रस्तावित वितरण का विवरण		

क्र0 सं0	**विवरण**	**वित्तीय वर्ष** 2023-24 (01.07.2023 **से** 30.09.2023)
1	उत्पादित माल पर जमा की गयी कुल नेट एस.जी.एस.टी.की राशि	4,28,49,858.00@
2	**नेट एस.जी.एस.टी. की प्रतिपूर्ति योग्य धनराशि**	2,99,94,901.00
3	पूँजीगत ब्याज उपादान की प्रतिपूर्ति	-
4	इलेक्ट्रीसिटी ड्यूटी में छूट	-
5	**कुल** (2+3+4)	**2,99,94,901.00**
6	वितरण योग्य अर्ह राशि	2,99,94,901.00
7	घटाया - इकाई को वितरित/इकाई द्वारा छूट के रूप में प्राप्त सुविधा की राशि	-
8	**वितरण हेतु कुल अर्ह राशि**	**2,99,94,901.00**

@ सभी सुविधाओं का योग सम्बन्धित वर्ष/अवधि में जमा की गयी कुल नेट एस.जी.एस.टी. की राशि से अधिक नही होगा। साथ ही अनुमन्य पूँजी निवेश के **20** प्रतिशत की वार्षिक सीमा (रू0 **50,09,15,744/-**) से अधिक प्रतिपूर्ति नही की जायेगी।

*एस.ओ.पी. शासनादेश दिनांक **26.03.2021** के अनुपालन में कुल देय राशि में से **10** प्रतिशत धनराशि होल्ड की जायेगी। तत्पश्चात कुल देय वितरण योग्य राशि में से नोडल संस्था को देय प्रशासनिक खर्चों के रूप में **1.5** प्रतिषत घटा कर शेष राशि कम्पनी को वितरित की जायेगी।

(3) मेसर्स जे0के0 सीमेंट लि0, जिला हमीरपुर (बुन्देलखण्ड)

शासनादेश दिनांक 26.3.2021 के अनुपालन में मेसर्स जे0के0 सीमेंट लि0 (पूर्व में मेसर्स जेकेसेम (सेन्ट्रल) लि0) को जिला हमीरपुर (बुन्देलखण्ड) में **2.0** मिलियन मैट्रिक टन प्रतिवर्ष क्षमता के सीमेन्ट के उत्पादन हेतु रू0 381.22 करोड़ पूॅजी निवेश के माध्यम से एक नई सीमेन्ट इकाई की स्थापना हेतु त्वरित निवेश प्रोत्साहन नीति-2020 के अन्तर्गत दिनांक 3.6.2021 को लेटर ऑफ कम्फर्ट निर्गत किया गया था जिसके अनुसार कम्पनी को उक्त परियोजना हेतु विभिन्न सुविधायें अनुमोदित की गयी हैं।

कम्पनी द्वारा प्रस्तावित परियोजना का वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक 25.11.2022 को रू0 296.28 करोड़ के स्थायी पूॅजी निवेश के साथ प्रारम्भ कर वित्तीय वर्ष 2023-24 (01.04.2023 से 30.09.2023) की अवधि के लिए सुविधाओं के वितरण हेतु आवेदन किया गया है। कम्पनी द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन की तिथि 25.11.2022 से 31.3.2023 की अवधि हेतु कोई क्लेम नही किया गया है।

शासनादेशों में निहित प्राविधानों के अनुसार नोडल एजेन्सी के इम्पैनल्ड वैल्यूवर द्वारा रू0 288,59,53,503.00 (रू0 288.60 करोड़) का अर्ह स्थाई पूॅजी निवेश सत्यापित किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 (01.04.2023 से 30.09.2023) की अवधि के लिये सुविधाओं के वितरण हेतु निम्न विवरण के अनुसार अनुमन्यता है-

(राशि रू. में)

1-	परियोजना के सत्यापित निवेश के सापेक्ष सुविधाओं की अर्हता (बुन्देलखण्ड क्षेत्र में स्थापित होने के कारण स्थायी पूॅजी निवेश के 300 प्रतिशत के समतुल्य - रू0 288,59,53,503 X 3)	-	865,78,60,509.00
2-	सुविधाओं के वितरण हेतु अनुमन्य तिथि (डेट आफ एडमिसिबिल्टी)	-	25-11-2022
3-	सुविधाओं के प्रस्तावित वितरण का विवरण		

क्र0 सं0	विवरण	वित्तीय वर्ष 2023-24 (01.04.2023 से 30.09.2023)
1-	उत्पादित माल पर जमा की गयी कुल नेट एस.जी.एस.टी. की राशि	27,48,09,590.00@
2-	नेट एस.जी.एस.टी. की प्रतिपूर्ति योग्य धनराशि	19,23,66,713.00
3-	पूँजीगत ब्याज उपादान की प्रतिपूर्ति	-
4-	इलेक्ट्रीसिटी ड्यूटी में छूट	-
5-	**कुल (2+3+4)**	**19,23,66,713.00**
6-	वितरण योग्य अर्ह राशि	19,23,66,713.00
7-	**घटाया-** इकाई को वितरित/इकाई द्वारा छूट के रूप में प्राप्त सुविधा की राशि	
8-	**वितरण हेतु कुल अर्ह राशि**	**19,23,66,713.00***

@सभी सुविधाओं का योग सम्बन्धित वर्ष/अवधि में जमा की गयी कुल नेट एस.जी.एस.टी. की राशि से अधिक नही होगा। साथ ही अनुमन्य पूँजी निवेश के **20** प्रतिशत की वार्षिक सीमा (रू**0 57,71,90,701/-**) से अधिक प्रतिपूर्ति नही की जायेगी।

*एस.ओ.पी. शासनादेश दिनांक **26.03.2021** के अनुपालन में कुल देय राशि में से **10** प्रतिशत धनराशि होल्ड की जायेगी। तत्पश्चात कुल देय वितरण योग्य राशि में से नोडल संस्था को देय प्रशासनिक खर्चों के रूप में **1.5** प्रतिशत घटा कर शेष राशि कम्पनी को वितरित की जायेगी।

2- उपर्युक्त प्रस्तर में अंकित कुल 03 प्रकरणों के संबंध में 'कोविड 19 महामारी के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश में आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों के लिए त्वरित निवेश प्रोत्साहन नीति-2020' के अंतर्गत अनुमन्य वित्तीय प्रोत्साहन/सुविधायें/एलओसी संशोधन निम्नवत शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन होगी-

1. प्रश्नगत औद्योगिक इकाईयों को जिन सुविधाओं/रियायतो हेतु धनराशि का वितरण किया जाना है वह 'कोविड 19 महामारी के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश में आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों के लिए त्वरित निवेश प्रोत्साहन नीति-2020' तथा सुसंगत शासनादेशों के अनुसार अनुमन्य सीमा के भीतर, पात्र पूंजी निवेश के वास्तविक सत्यापन के अधीन एवं तत्संबंधी शर्तों के अनुसार अनुमन्य होंगी।

2. सुसंगत शासनादेशों/अधिनियम/विनियम/दिशा-निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।
3. शासनादेश संख्या-1281/77-6-2021-5(एम)/13टीसी (मेगा-1), दिनांक 26.03.2021 में वर्णित मानक संचालन प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
4. औद्योगिक इकाईयों के वित्तीय प्रोत्साहन के दावे की वितरित की जाने वाली धनराशि के आंकड़ों की शुद्धता सुनिश्चित की जाएगी।
5. 'कोविड 19 महामारी के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश में आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों के लिए त्वरित निवेश प्रोत्साहन नीति-2020' के अंतर्गत परियोजनाओं की स्थापना हेतु इम्पावर्ड कमेटी की बैठकों के क्रम में पत्र दिनांक 11.03.2024 एवं पत्र दिनांक 22.07.2024 द्वारा निर्गत कार्यवृत्त में अंकित संस्तुतियों के अनुसार सुविधायें/रियायतें दी जायेगी।

3- अतः कृपया उपर्युक्तानुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए इस संबंध में आवश्यक वित्तीय स्वीकृति का प्रस्ताव प्रमाणित विवरण सहित शासन को अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अनिल कुमार सागर)
प्रमुख सचिव।

संख्या- 52/2024/2457/77-6-24-5(एम)/2017टीसी 15 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय) उ0प्र0, प्रयागराज।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री।
4. निजी सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
5. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/वित्त, न्याय, नियोजन, एमएसएमई, स्टाम्प एवं निबन्धन, राज्यकर विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यू0पी0।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रामध्यान रावत)
उप सचिव।